न्यायालय अति. जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व विविध : 112/2018
GCMS Case No. : 2018/00136

प्रार्थी —	बनाम	अप्रार्थीगण —
गोविन्दसिंह पुत्र धन्नेसिंह जाति रावत, निवासी रायराखुर्द, तहसील सोजत, जिला पाली		1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार सोजत जिला पाली 2. अन्नेसिंह पुत्र नेतसिंह जाति रावत निवासी रायराखुर्द, तहसील सोजत, जिला पाली 2/1 लाछुदेवी पत्नी अनेसिंह 2/2 अमरसिंह पुत्र अनेसिंह 2/3 बादरसिंह पुत्र अनेसिंह 2/4 सुमेरसिंह पुत्र अनेसिंह 2/5 नगेसिंह पुत्र अनेसिंह 2/6 सोहनसिंह पुत्र अनेसिंह 2/7 समदरसिंह पुत्र अनेसिंह 2/8 बादामी पुत्री अनेसिंह 2/9 सीता पुत्री अनेसिंह 3. रूपसिंह पुत्र मोतीसिंह के का.मु. 3/1 हातीदेवी बेवा रूपसिंह 3/2 हडमानसिंह पुत्र रूपसिंह 3/3 तीजादेवी पुत्री रूपसिंह 3/4 डालीदेवी पुत्री रूपसिंह जातिगण रावत, निवासीगण रायराखुर्द, तहसील सोजत जिला पाली

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन) नियम 1970"

उपस्थित :—

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजूदास वैष्णव।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।
3. अप्रार्थी संख्या 2/3 की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण के चौधरी।

—:: आदेश ::—

दिनांक 25/06/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत उपखण्ड़ अधिकारी सोजत एवं आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा आवंटन केम्प खोडिया दिनांक 04.04.1988 के द्वारा अप्रार्थी अन्नेसिंह व रूपसिंह के पक्ष में

अति. जिला कलेक्टर, पाली

ग्राम रायराखुर्द के खसरा नम्बर 2698 मीन एवं 2698/9 का भू–आवंटन आदेश के विरूद्ध पेश किया है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अतः प्रार्थना पत्र सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2.1, 2.2, व 2.4 से 2.9 एवं 3.1 से 3.4 बाद तामिल वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थी, सरकारी पैरोकार एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2.3 की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी का ग्राम रायराखुर्द के खसरा नम्बर 2698/2837 रकबा 0.96 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन भाखर एवं खसरा नम्बर 2698/9 मीन रकबा 0.6400 हैक्टेयर कृषि भूमि पर वर्ष 1975 से आज दिनांक तक कब्जा काश्त है जहां पर वह अपने परिवार सहित निवास करता है और राजकीय अनुदान से ऋण लेकर से कुंआ खुदवा कर कृर्षि करता आ रहा है। जैर आराजी आवंटी अन्नेसिंह व रूपसिंह ने वक्त आवंटन, आवंटन अधिकारी को पर्याप्त कृषि भूमि होते हुए भी स्वयं को भूमिहीन बता कर गलत तथ्यों के आधार दिनांक 04.04.1988 को केम्प खोड़िया में जैर आवंटन आदेश पारित करवाया है। जैर आवंटन आदेश की आड़ में अप्रार्थीगण प्रार्थी की वर्षो से कब्जाशुदा आराजी जिस पर वह अपने परिवार सहित वर्षो से निवास कर रहा है, बेदखल करने पर उतारू है। जिस पर प्रार्थी ने दिनांक 04.07.1995 को एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार सोजत के समक्ष पेश कर जैर आराजी की मौका रिपोर्ट तलब करने हेतु निवेदन किया जिस पर पटवारी हल्का खोडिया, मौतबिरान वार्ड पंचों एवं पक्षकारान की उपस्थित में दिनांक 31.08.1995 को मौका रिपोर्ट तैयार की जिसमें मौके पर प्रार्थी का कब्जा एवं बाजरी, तिल व कुलद की फसल होना बताया, जिससे भी स्पष्ट होता है कि जैर आवंटी आराजी पर अप्रार्थी का कब्जा न होकर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। दिनांक 16.08.2016 जैर आवंटन आदेश के संबंध में आवंटन कार्यालय में चालाना रजिस्टर मे भी जेर आवटंन का इन्द्राज नहीं है, न ही ग्राम खोडिया में कोई आवंटन हेतु राजस्व कैम्प लगाया गया था। जैर आराजी के संबध में प्रार्थी ने एक म्युटेशन अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली में लगायी जिसके संबंध में न्यायालय ने म्याद बाहर होने से खारिज करते हुए आदेश पारित किया कि आवंटन खारिज करने के लिए प्रार्थी आवंटन नियमों के तहत कार्यवाही करें। जिसकी पालना में प्रार्थी ने जैर आवंटन खारिज करने हेतु प्रार्थन पत्र पेश किया, जिसे परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत धारा 12 के तहत विलम्ब अवधि माफ करते हुए अन्दर अवधि शुमार किया जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करे एवं आवंटी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं किये जाने के कारण जैर आवंटन आदेश 04.04.1988 को निरस्त फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि पत्रावली के सलंग्न दस्तावेजो के अवलोकन से यह पुर्णतया स्पष्ट होता है जैर आवंटन आदेश दिनांक 04.04.1988 को हुआ था, जिसमें बतौर गवाह प्रार्थी गोविन्दसिंह पुत्र धनेसिंह जाति रावत निवासी रायराखुर्द है, ऐसे में प्रार्थी का यह तथ्य स्वीकार योग्य नहीं था की

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

जैर आवंटन की जानकारी प्रार्थी को पूर्व में नहीं थी। ऐसे में 30 वर्ष बाद आवंटन निरस्ती हेतु न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करना स्वीकार योग्य नहीं है एवं आवंटी के पक्ष में जैर आवंटन आदेश आवंटन नियमों की पालना करते हुए जारी किया गया है। आवंटी ने नियमानुसार आवेदन पेश किया, जिस पर पटवारी हल्का की तस्दीक रिपोर्ट एवं आवंटन कमेटी की सिफारीश के आधार पर जैर आवंटन आदेश पारित किया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं होने से जैर आवंटन आदेश को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2.3 ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी के पिता अन्नेसिंह पुत्र नेतसिंह एवं रूपसिंह पुत्र मोती सिंह जातिगण रावत के पक्ष में आवंटन कमेटी द्वारा जैर आवंटन आदेश करीब 38 वर्ष पूर्व हुआ था तथा इतने लम्बे अन्तराल के बाद जैर प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका कोई युक्तियुक्त कारण पेश नहीं किया। आवंटन आदेश दिनांक 04.04.1988 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 322 दिनांक 20.01.1992 के द्वारा आवंटी को राजस्व रेकर्ड में गैर–खातेदार दर्ज किया गया, नामान्तरकरण संख्या 326 दिनांक 20.01.1992 द्वार आंवटी को राजस्व रेकर्ड में खातेदार दर्ज किया गया। चूंकि अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है जो कि आवंटन समय से आदिनांक तक जैर आराजी पर कब्जे काश्त करते आ रहे है परन्तु राजस्व अधिकारियों ने नियम 18 के प्रावधानों की पालना नहीं करते हुये आवंटी तथा बाद स्वीकृत में अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये, जो नियम विरूद्ध है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र विधिक रूप से पोषणीय नहीं होने तथा म्याद बाहर होने से खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जैर प्रार्थना–पत्र उपखण्ड अधिकारी सोजत एवं आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा आवंटन केम्प खोडिया दिनांक 04.04.1988 के द्वारा अप्रार्थी अन्नेसिंह व रूपसिंह के पक्ष में ग्राम रायराखुर्द के खसरा नम्बर 2698 मीन एवं 2698/9 का भू–आवंटन आदेश के विरूद्ध पेश किया है। प्रकरण में सर्वप्रथम हम अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र के निर्णय में उचित समझते है। प्रार्थी ने जैर आवंटन आदेश की जानकारी दिनांक 16.08.2016 को होना अंकित किया है और यही तथ्य जैर प्रार्थना–पत्र को अन्दर म्याद शुमार कराने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र में अंकित किए हैं। जहां तक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने में जो विलम्ब हुआ है, के शमन का प्रश्न है, तो इस बिन्दु पर विभिन्न न्यायालयां द्वारा समय–समय पर अपने निर्णयों में व्यवस्थाऐं प्रदान की हैं। इस सम्बन्ध में अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2007(2) RRT 1430 State of Rajasthan vs Bhanwar lal के अनुसार राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970–नियम 14(4)–14.8.1963 को 9 बीघा भूमि अप्रार्थी को आवंटित की –प्रार्थी यह साबित करने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने में असफल रहा कि आवंटी आवंटन के पूर्व 10 बीघा भूमि के कब्जे में था–40 वर्ष पूर्व आवंटन किया–40 वर्ष बाद आवंटन निरस्त करना विधिसम्मत नहीं है और यह न्याय के साथ खिलवाड होगा–निर्णित, आलोच्य निर्णय की पुष्टि की। इसी प्रकार 2001 आर.आर.डी. 125, 377 भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है जिसमें पेज 125 पर यह

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अभिमत व्यक्त किया गया है कि – Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultureal Purpose) Rules 1970 - Rule 14(4) - Allotment can not be cancelled after 30 years - After 10 years allottee can be ejected under the provisions of Rajasthan Tenancy Act. Under the allotment Rules of 1957 land was allotted to the appellant in the year 1963. Even if the land was allotted under the Allotment Rules of 1957 same can be cancelled under the allotment Rules of 1970 if the allotment was obtained by fraud or mis representation. It was held that after a lapse of 25 years the allotment of land cannot be cancelled. The Board of Revenue accepted the appeal and set aside the order of both lower court. साथ ही अन्य न्यायिक दृष्टान्त 1996(3) RBJ 287 Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land For Agricultural Purpose) Rules 1970 - Rule 14(3) And Rule 18 Section 9 of the Rajasthan land Reveune Act. 1956 - Allotment of land cannot be cancelled after lapse of 23 years. इसी प्रकार 2004 आर.बी.जे. 535 पर भी यह कहा गया है कि – Limitataion Act, 1963-Section 5-Sufficient cause-Whilse condoning the delay on should not forget that valualbe right have accrued to the opposite party-Delay should be condoned only when there is sufficient cause-The words "Sufficient cause" under Section"5 of the Limitation Act should receive a liberal construction so as to advance substantial justice, but it does not mean to inter that delay should be condoned in eact and every case unless discretion exercised by the Court is on untenable grounds or arbitrary or perverse and in the eventually. साथ ही 2004 आर.बी.जे. 327 अनुसार Limitataion Act, 1963-Section 5-Condonation of delay-Delay of 12 years in filling appeal against final decree cannot be condoned-The Board of Revenue dismissed the Second appeal against the judgment dated 20-03-1984 in the first instance on 11-04-1989. While dismissing the appeal, the Board of Revenue has observed that the appellant has not preferred any application for explanation of 12 years dealy in filing the appeal. appeal dismissed. तथा न्यायिक दृष्टान्त 2011(2) डी.एन.जे. (राज.) 710 बल्लभदास व अन्य बनाम जिलाधीश व अन्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि आवंटन को 40 वर्षों पश्चात् निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। इसके अतिरिक्त 1997 आर.आर.डी. 412 पर भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि – Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land For Agricultural Purpose) Rules 1970 - Rule 14(4) -Landrecorded a gair-mumkin rasta allotted-application under Rule 14(4), rejected by subordinate Courts-Revision-Held, Soil Classification of disputed land was changed a Barani kk prior to allotment and, therefore, 2 bigha area out of total area of Khasra No. 2132 is available for allotment-The matter has been brought to the notice after 19 years of allotment and decision of subordinate Courts is concurrent-Be-sides this, complainant has no right of appeal-Second appeal, held not maintainable. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र मीमों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का जो प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था उसे अवलोकन से जाहिर होता है कि जिसमें लगभग 50 वर्ष के अप्रत्यक्षित विलम्ब को माफ करने का कोई विश्वसनीय, संतोषजनक एवं न्यायोचित कारण नहीं दिया गया है। अतः 30 वर्ष के अप्रत्यक्षित विलम्ब को बिना कारण के माफ करना हमारी दृष्टि में पूर्णतया अनुचित है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है एवं धारा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

5 मियाद अधिनियम के आवेदन पत्र में जो कारण विलम्ब के बताये गये हैं वह न्यायोचित नहीं कहे जा सकते हैं। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रेकर्ड में अप्रार्थी अन्नेसिंह के आवेदन पत्र का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि उक्त आवेदन पत्र पर गवाह के रूप में स्वयं प्रार्थी गोविन्दसिंह का नाम है, जिस पर स्वयं प्रार्थी के हस्ताक्षर अंकित है। इससे प्रार्थी के यह तथ्य कि उन्हे जैर आवंटन आदेश की जानकारी दिनांक 16.08.2016 को हुई हो, समर्थन योग्य नहीं पाया जाता हैं। इस प्रकार अपीलाण्ट द्वारा परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों तथा दस्तावेजात् का परस्पर मिलान नहीं होता है। इस कारण हस्तगत प्रार्थना–पत्र परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों से बाधित होने से प्रथम दृष्टया म्याद बाहर पाया जाता है।

इसके अतिरिक्त यदि प्रकरण को गुणावगुण पर देखा जाता है तो यह पाते है कि प्रार्थी ने हस्तगत प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी सोजत के पत्रांक 280/282 दिनांक 04.04.1988 को चुनौती देते हुये, दो अलग–अलग आवंटन आदेश, जो कि दिनांक 25.02.1988 को अप्रार्थी अन्नेसिह एवं रूपसिंह के पक्ष में आवंटन कमेटी की सिफारिश पर जारी किये गये थे, को निरस्त करने का निवेदन किया है अर्थात् प्रकरण में प्रार्थी ने आवंटन आदेश को चुनौती न देकर उपखण्ड अधिकारी सोजत के पत्र दिनांक 04.04.1988 को निरस्त करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया है। न्यायालय हाजा को प्रार्थना पत्र अन्तगर्त नियम 14(4) के तहत किसी आवंटन कमेटी के आदेश की वैद्यता को जांचने का अधिकार है, न की उपखण्ड अधिकारी के किसी कार्यालय पत्र को निरस्त करने का। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को नहीं होने से अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जैर प्रार्थना–पत्र इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य हैं। इसके अतिरिक्त प्रार्थी ने दो अलग–अलग आवंटन आदेश को निरस्त करवाने हेतु एक प्रार्थना–पत्र पेश किया है, जो कि अनुचित है।

जहां तक जैर आवंटन आदेश की वैधानिकता का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रेकर्ड के विवेचन पर पाते है कि आवंटि को जो भूमि आवंटित हुई, वक्त आवंटन उसकी किस्म गै.मु.भाखर थी, जो कि राज. भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 4 के तहत आवंटन के लिये प्रतिबंधित नहीं थी तथा पटवारी की रिपोर्ट अनुसार भूमि मौके पर काबिल काश्त होने से उक्त भूमि की किस्म परिवर्तन करना उचित बताया है और उसी अनुसार आवंटन अधिकारी (एस.डी.ओ.) ने आवंटन आदेश जारी किये। इसके अतिरिक्त रेकर्ड अनुसार ग्राम रायराखुर्द अप्रार्थी अन्नेसिंह की खाता संख्या 416 में 0.20 हैक्टयेर तथा अप्रार्थी रूपसिंह की खाता संख्या 485 में 1.77 हैक्टेयर भूमि थी। इस सम्बन्ध में राज. भू. राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 12 अनुसार "उपबन्धित के सिवाय, आवंटित की जाने वाली भूमि की सीमा 4 हैक्टर से अधिक नहीं होगी, किन्तु शर्त यह होगी कि किसी भी दशा में इन नियमों के अधीन आवंटित किये जाने वाले कुल क्षेत्र, आवंटी द्वारा पहले से ही धारित क्षेत्र या उसके काल्पनिक अंश, यदि भूमि संयुक्त परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा धारित हो, को मिला कर (4 हैक्टर) से अधिक नहीं होगा।""परन्तु यह भी कि किसी भी सिंचाई परियोजना के अधीन नहीं आने पर बाड़मेर, जोधपुर, चुरू, पाली, जैसलमेर, नागौर, बीकानेर और

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

जालोर जिले के क्षेत्रों में इन नियमों के अधीन आंवटित की जाने वाली भूमि का अधिकतम क्षेत्र 6 हैक्टर से अधिक नहीं होगा।" अप्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र में जिन खाता का जिक्र किया उसमें वर्णित भूमि नियम 1970 के नियम 12 में वर्णित क्षेत्रफल से कम है। लिहाजा उपरोक्त तथ्यों से यह सुस्पष्ट है कि अप्रार्थी भूमिहीन की श्रेणी में आते थे थे एवं इसी परिपेक्ष में आवंटन कमेटी ने, आवंटी अन्नेसिंह को खसरा संख्या 2698 मीन में से 0.96 हैक्टेयर एवं आवंटी रूपसिंह को रकबा 0.64 हैक्टेयर भूमि आवंटित की, जो विधिनुसार है।

इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या 322 एवं 326 की प्रतिलिपि में अंकितानुसार अप्रार्थी का जैर आराजी पर कब्जा काश्त होने से उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 04.04.1988 के द्वारा अप्रार्थी अन्नेसिंह को गैर खातेदार तथा अप्रार्थी रूपसिंह को जैर आराजी में बतौर खातेदार दर्ज किया गया और किसी भी आवंटी को राजस्व रेकर्ड में तभी बतौर खातेदार दर्ज किया जाता है, जब उसके द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना की गयी हो। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रेकर्ड के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि दिनांक 25.02.1988 को मौजा खोडिया में भू–आवंटन सलाहाकार समिति की बैठक हुई, जिसमें उपखण्ड अधिकारी सोजत, सरपंच ग्राम पंचायत खोडिया, तहसीलदार उपस्थित थे, जो कि राज. भू. राजस्व. (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 13 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुरूप है। अप्रार्थी द्वारा भूमि आवंटन हेतु सलाहाकर समिति के समक्ष जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, उसमें स्वयं की नोशनल शेयर की जो भूमि बतायी वह भूमिहीन की श्रेणी में आती है तथा पटवारी रिपोर्ट के अनुसार भी आवंटी के पास कोई अतिरिक्त खातेदारी भूमि नहीं है अर्थात् आवंटी भूमिहीन व्यक्ति है, इसलिये अप्रार्थी को आवंटन सलाहाकर समिति के द्वारा जैर आराजी आवंटित की गयी, जो कि प्रथमदृष्टया पूर्णतया विधिनुसार प्रतीत होता है।

समग्रतः हम इस प्रकरण के सम्पूर्ण विश्लेषण करने पर पाते है कि आवंटन दिनांक 25.02.1988 को किया गया था जिसे लगभग 30 वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी है, जिसे अन्दर म्याद शुमार करने हेतु प्रार्थी ने कोई युक्तियुक्त कारण नहीं बताये है। साथ ही मेरिट के तथ्यों के आधार पर भी आवंटी का आवंटन खारिज किये जाने योग्य नहीं हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन) नियम, 1970 सारहीन, बलहीन होने से खारिज किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी सोजत एवं आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा आवंटन केम्प खोडिया दिनांक 25.02.1988 के द्वारा अप्रार्थी अन्नेसिंह व रूपसिंह के पक्ष में किये गये भू–आवंटन आदेश को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ मूल आवंटन आदेश प्रभारी अधिकारी, रेकर्ड शाखा को लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 25/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)